न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

क्रमांकः- 67 /अ-59/2017-18/ 5566 बैतूल दिनांक 4 /5 /2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 205 रा.नि. मण्डल मासोद तहसील मुलताई द्वारा नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त) के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम ताईखेड़ा तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 76, 80, 81 रकबा क्रमशः 0.218, 2.023 तथा 0.243 हेक्टेयर चरनोई मद में दर्ज है, तथा खसरा नंबर 269 रकबा 0.660 हेक्टेयर भूमि रास्ता मद में दर्ज है। उक्त भूमि के संबंध में ग्राम सभा में आबादी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। उक्त खसरा नंबर में पूर्व से मकान बने हुए है।

2- हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त) द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- मौजा ताईखेड़ा तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 76, रकबा 0.218, खसरा नंबर 80 रकबा 2.023 हेक्टेयर में से 0.405 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 81 रकबा 0.243 हेक्टेयर मद घाँस को एवं खसरा नंबर 296 रकबा 0.660 हेक्टेयर मद रास्ता में से 0.350 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित किए जाने हेतु विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 26-2-2018 को ग्राम ताईखेड़ा में आयोजित ग्राम सभा में, सर्वसम्मित से प्रस्ताव क्रमांक' 17 एवं 18 पारित किया जाकर ग्राम ताईखेड़ा से डेम पहुँच मार्ग पर किनारे से गोहा मार्ग को, तथा ताईखेड़ा से शमशान पहुँचमार्ग को आबादी घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा ताईखेड़ा तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 76, 80 एवं 81 रकबा 0.218, 2.023, तथा 0.243 हेक्टेयर चरनोई मद में एवं खसरा नंबर 296 हेक्टेयर रास्ता मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1972-73 के अनुसार खसरा नंबर 76, 80 एवं 81 रकबा 0.218, 2.023, तथा 0.243 हेक्टेयर भूमि घाँस मद में एवं खसरा नंबर 296 रकबा 0.660 हेक्टेयर रास्ता मद में दर्ज है।

(4)- ग्राम ताईखेड़ा का मकबूजा रकबा 312.352 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 9.544 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से न्यूनतम 6.247 हेक्टेयर चरनोई का रकबा उपलब्ध होना आवश्यक है। वर्तमान में ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा, न्यूनतम रक्षित रकबे से अधिक है। चरनोई के उपलब्ध रकबे में से 0.866 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने के उपरांत भी चरनोई का न्यूनतम रक्षित रकबा प्रभावित नहीं होगा।

(5)- उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त) /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई द्वारा मौजा ताईखेड़ा तहसील मुलताई स्थित चरनोई मद के खसरा नंबर 76 रकबा 0.218, खसरा नंबर 81 रकबा 0.243 तथा खसरा नंबर 80 रकबा 2.023 हेक्टेयर में से 0.405 हेक्टेयर को एवं खसरा नंबर 296 रकबा 0.660 हेक्टेयर मद रास्ता में से 0.350 हेक्टेयर को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है। खसरा नंबर 103/1 रकबा 0.974 हेक्टेयर में से 0.809 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की 237 की उपधारा- (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को लोक प्रयोजनो तथा अन्य प्रयोजनो के लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाँए पृथक रख सकता है। धारा 237 की उपधारा- (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को लोक प्रयोजनो तथा अन्य प्रयोजनो के लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाँए पृथक रख सकता है तथा उपधारा- (3) के अनुसार चारागाह, घाँस, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित की भूमि को उस ग्राम की कुल

कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात् दखल रहित भूमि को आबादी, सड़को, राजमार्गो, नहरो, तालाबो, अस्पतालो, विद्यालयो, महाविद्यालयो, गौशालाओ, के निर्माण या राज्य शासन द्वारा अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओ के लिए व्यवपर्तित किया जा सकता है। धारा 243 (1) के अनुसार जहाँ आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र, कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, वहाँ ग्राम की दखलरहित भूमि मे से ऐसा और क्षेत्र आरक्षित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त) /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा ताईखेड़ा तहसील मुलताई स्थित चरनोई मद के खसरा नंबर 76 रकबा 0.218, खसरा नंबर 81 रकबा 0.243 तथा खसरा नंबर 80 रकबा 2.023 हेक्टेयर में से 0.405 हेक्टेयर को एवं खसरा नंबर 296 रकबा 0.660 हेक्टेयर मद रास्ता में से 0.350 हेक्टेयर, (जिसे नक्शे मे लाल स्याही से चिन्हित किया गया है) को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:- 67/अ-59/2017-18/ 5566 बैतूल दिनांक 4/5/2018

प्रतिलिपिः-

1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई की ओर सूचनार्थ।
2- नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
5- सचिव ग्राम पंचायत ताईखेड़ा जनपद पंचायत प्रभातपट्टन की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.